न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 83/2009

–:: प्रार्थी ::–

1. चन्द्रकान्ता पुत्री दानाराम कौम–जाट पत्नी रूपाराम निवासी– बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।
2. शोभादेवी पुत्री दानाराम पत्नी मीठालाल जाति–जाट निवासी–जोधपुर, जिला–जोधपुर।
3. आशादेवी पुत्री दानाराम जाति–जाट निवासी–जोधपुर जिला–जोधपुर राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. शिवरतन पुत्र दानाराम
2. दुर्गादेवी पत्नी दौलतराम
3. चरणसिंह पुत्र दौलतराम
4. मनदीप पुत्र दौलतराम सभी जातियान– जाट, साकिन– जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 04/06/2009

उपस्थितः–

1. श्री शिवरतन भण्डारी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी एवं शाकिर हुसैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

दिनॉक: 18/02/2020

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 के पिता एंव गैरसायलान संख्या 02 के ससुर व गैरसायलान संख्या 03 व 04 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 05 स्व. संतोष के पिता श्री दादाराम जी थे। श्रीमति संतोष का देहान्त उनके पिता के जीवनकाल में हो चुका है इसलिए प्रतिवादी रेखा व शांतिदेवी को बतौर स्व. संतोषदेवी के कायम मुकाम वाद में पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार स्व. दानाराम जी के पक्षकारान जायज उतराधिकारी व कायम मुकाम जो पक्षकारान का निम्नलिखित वंशवृक्ष है वंशवृक्ष अनुसार पक्षकारान हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। स्व. दानाराम जी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सेटलमेन्ट से उनके नाम बतौर खातेदार के दर्ज है विवरण भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 456 रकबा 0–8 बीघा किस्म गैर.मु. बेरा, खसरा नंबर 457

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

रकबा 0-04 बीघा किस्म दानासागर, कुल खसरा 03 रकबा 45-12 बीघा है। उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट के खतौनी बन्दोबस्त में संवत 2011 से 2030 तक में स्व. दानाराम के नाम खातेदारी की है उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 50-14 बीघा रेकर्डेड खातेदारी की है इस जमीन में से एक जैतारण की बाईपास सड़क हेतु जमीन राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्त कर ली गई एवं समय समय पर उक्त दानाराम के देहान्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारी गैरसायल संख्या 01 से 04 ने भी वाद के प्रतिवादी संख्या 06 से 34 को बैचान कर दी और वर्तमान में जिनके नाम जमाबन्दी संवत 2064 से 2065 में इन्द्राज है इस प्रकार वर्तमान में काबिज काश्त उक्त खसरा नंबर 457 कुल 37 बीघा 08 बिस्वा भूमि मौजूद है गैरसायल वाद के प्रतिवादी संख्या 06 से 34 से वादीगण का कोई विवाद नहीं है केवल मात्र सह खातेदार होने से वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। कस्बा जैतारण की सीमा में खसरा नंबर 677 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा स्थित है यह कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट के स्व दानाराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी, जो भी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है। वक्त सेटलमेन्ट के दर्ज खातेदार काश्तकार स्व. दानाराम का देहान्त होने पर जरिये फ़ौतेदगी नामान्तकरण के जरिये म्यूटेशन संख्या 746 के जरिये खसरा नंबर 457 का अमल स्व. दानाराम के दोनों पुत्र दौलतराम और शिवरतन के नाम स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 677 का नामान्तकरण संख्या 747 के जरिये स्व. दानाराम के दोनों पुत्रों दौलतराम और शिवरतन के नाम बतौर उतराधिकारी के भरा गया। यह दोनों नामान्तकरण कानूनन अवैध व शून्य है क्योंकि स्व. दानाराम के कायम मुकाम उत्तराधिकारी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार केवल पुत्रगण ही उत्तराधिकारी नहीं होते है पुत्रों के अलावा मृतक की पुत्रियां एवं मृतक की बेवा भी जायज उत्तराधिकारी है इसलिये दोनों म्यूटेशन पूर्णतया अवैध व शून्य है उक्त नामान्तकरण सायल के हितों के विरुद्ध बेअसर है क्योंकि स्व. दानाराम जी की पुत्रियों के नाम हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पुत्रियां जायज उत्तराधिकारी होने और उक्त कृषि भूमि पक्षकारान सायलान व गैरसायल संख्या 01 से 04 व प्रतिवादी संख्या 05 की संयुक्त परिवार की अविभाजित कृषि भूमि होने से बतौर उत्तराधिकारी के फौतेदगी म्युटेशन भरा जाना था, जो नहीं भरा गया। स्व. दानाराम जी के देहान्त के पश्चात उनके पुत्र दौलतराम का भी देहान्त हो गया तब दौलतराम के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमिका नामान्तकरण संख्या 1449 उक्त दौलतराम के कायम मुकाम दौलतराम की बेवा दुर्गादेवी व पुत्रगण चरणसिंह, मनदीपसिंह के नाम तहसीलदार जैतारण ने पारित किया और स्व. दौलतराम के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी उसकी बेवा और उसके पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के दर्ज है नकल म्युटेशन संख्या 1449

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

साथ पेश है स्व दानाराम जी की बेवा विद्यादेवी ने एक राजस्व वाद संख्या 114/2000 सहायक कलक्टर, जैतारण के न्यायालय में गैरसायल संख्या 01 से 04 के खिलाफ घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया और वाद में सायला ने यह प्लीड किया कि स्व. दानाराम के देहान्त के पश्चात उनके दो पुत्र दौलतराम व शिवरतन के नाम यह जमीन खाते में आयी। उक्त दोनों के अलावा बतौर उनकी वारिस वादीया/भी है परन्तु खाते में दो पुत्रों के नाम ही बतौर म्युटेशन के आया। जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार की पत्नी भी समान रूप से उत्तराधिकारी है इस वाद में सायला/वादी विद्यादेवी व प्रतिवादी शिवरतन व दुगदिवी आदि ने मृतक खातेदार दानाराम की पुत्रियां हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी है इस तथ्य को जानबूझकर पक्षकारान ने छिपाया और न्यायायल को धोखे में रखकर उक्त वाद का निर्णय तारीख 21.06.2017 को कराकर उक्त कृषि भूमि में मृतक स्व. दानाराम जी की बेवा विघादेवी सायला का 1/3 हिस्सा व गैरसायल शिवरतन का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा दौलतराम के उत्तराधिकारी उसकी बेवा व पुत्रगण का घोषित करवाकर निर्णय प्राप्त किया। उक्त निर्णय खिलाफ कानून है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की बेवा व उसके पुत्र के अलावा उसकी पुत्रियां भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी कानून अनुसार है इस तथ्य को पक्षकारान ने छिपाया और कोर्ट को धोखे में रखकर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो डिक्री अवैध है उक्त निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 2426 पारित तहसीलदार जैतारण ने किया राजस्व वाद संख्या 114/2000 अनवान विघादेवी बनाम शिवरतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण फैसला दिनांक 21.06.2007 व डिक्री पर्चा दिनांक 21.06.07 एवं नामान्तकरण संख्या 2446 की प्रमाणित प्रतियां भी पेश की। स्व. दानारामजी के देहान्त के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सायलान व गैरसायल/वाद के प्रतिवादी संख्या 05 संतोषदेवी जो कि स्व. दानाराम जी की जायन्दा पुत्री थी। जिसका देहान्त उसके पिता के जीवनकाल में हो चुका है इसलिए उक्त मृतक संतोष के उत्तराधिकारी उसकी पुत्रियां को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार मृतक दानाराम जी की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि में दानाराम जी की दोनों पुत्र और उनकी बेवा विघादेवी एवं दानाराम की चारों पुत्रीयां का हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी होने से सबका समान हिस्सा बनता है विघादेवी बेवा दानाराम का देहान्त हो चुका है इसलिए विघादेवी बेवा दानाराम का हिस उसके देहानत के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनकी जायन्दा पुत्रीयां व पुत्रों में निहित होता है। इसलिए सायल संख्या 01 का 1/6 हिस्सा व सायल संख्या 02 का 1/6 हिस्सा व सायल संख्या 03 का भी 1/6 हिस्सा व गैरसायल संख्या 01 शिवरतन का1/6 हिस्सा व गैरसायल संख्या 02 से 04 का 1/6 हिस्सा व 1/6 हिस्सा संतोष की पुत्रियां रेखा, शांतिदेवी, का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है कुल आराजी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

51 बीघा 02 बिस्वा में से है इसलिए सायलान की ओर से उक्त कृषि भूमि कुल रकबा 51-02 बीघा में से उपरोक्त अनुसार सभी का 1/6 हिस्सा के खातेदारी हकुको की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। सायलान मृतक श्री दानाराम जी की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की जायज उत्तराधिकारी हैं और उक्त मृतक खातेदार के देहान्त के पश्चात माफिक कानून फौतेदगी नामान्तकरण में बतौर जायन्दा पुत्रियां के सायलान को भी पक्षकारान बनाकर नामान्तकरण पारित करना लाजमी था। ऐसा गैरसायल संख्या 01 से 04 ने नहीं किया और बाले बाले अपने स्वयं के नाम ही भरवाया। इस प्रकार उक्त नामन्तकरण अवैध शून्य व नाजायज है इसलिए सायलान के पक्ष में प्रथमदृष्टिया केस बखुबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है क्योंकि गैरसायल संख्या 01 व गैरसायल संख्या 02 से 04 ने अपने 1/6 1/6 हिस्से की कृषि भूमि को बैचान समय समय पर अन्य व्यक्ति को कर दिया है और अब उनका उक्त कृषि भूमि में कोई भी हिस्सा नहीं बचा है और जो वर्तमान में खसरा नंबर 457 में कृषि भूमि बची है वो अब केवल मात्र सायलान हिस्से की बची है किन्तु गैरसायलान उसे येनकेन प्रकार या बदयान्तीपूर्वक आवासीय प्रयोजनार्थ प्लाट् काटकर बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए इस परिस्थितियों में सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। गैरसायलान ने अगर मौके पर उक्त खसरा नंबर 457 व 677 या इसका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को बैचान या हस्तांतरण कर दिया या मौके पर प्लॉट काट दिये तो सायलान को असीम हानि होना सुनिश्चित है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सुरत में संभव नहीं है। गैरसायलान ऐलानिया तौर से उक्त बाकी बची जमीन का बैचान करने पर आमादा है इसलिए सब रजिस्ट्रार जैतारण भी इस प्रार्थना पत्र में बतौर गैरसायल पक्षकार बनाया गया है कि गैरसायलान द्वारा कोई भी बैचान या हस्तांतरण सम्बन्धित किसी प्रकार का दस्तावेज गैरसायल संख्या 01 से 04 पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करें एवं अगर कोई बाले-बाले कर देतें तो उसका राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं करे। इस आशय का यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सामिल मिसल हैं। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि खसरा नंबर 450 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा आराजी होने के कथन असत्य है। खसरा नंबर 456 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा आराजी होने के कथन असत्य होने से अस्वीकार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 457 मीन 02 बीघा 04 बिस्वा आराजी के होने के कथन अस्वीकार है। बल्कि खसरा नंबर 457 की आराजी 45

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

बीघा है। 456 की आराजी 08 बिस्वा है जो गैरमुमकिन बेरा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 451/1 की आराजी 04 बिस्वा है, जो गैर मुमकिन बेरा है। उक्त आराजी पर वक्त सेटलमेन्ट के समय की प्रविष्टियां अस्वीकार है। भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई है। इन तथ्यों को भी सायलान स्वयं साबित करें। गैरसायल संख्या 01 से 04 द्वारा दिगर गैरसायलान को आराजी बेचान करने का कथन भी अस्वीकार है। सायलान स्वयं साबित करे। वर्तमान में खसरा नंबर 457 की लगभग 24 बीघा जमीन ही मौके पर काश्त के प्रयोजनार्थ काम में आ रही है शेष भूमि पर आबादी बी हुई है तथा उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही भूमि का प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार सुनवाई राजस्व न्यायालय को नही है। वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 06 से 34 इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं है। खसरा नंबर 677 की भूमि पर भी सायलान का कोई वैधानिक हक व अधिकार व कब्जा व काश्त नहीं है उक्त आराजी के सायलान की संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने का आरोप भी मिथ्या है व अस्वीकार है वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की नहीं रही है, न ही है। स्व. दानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने रिश्तेदारों व अपने जाति समाज व गोत्र के व गांव के सामने मौजिज शख्सों के रूबरू अपनी चल व अचल सम्पति का बंटवाड़ा कर दिया था। सायलान को उनके हक हिस्से के माफिक रोकड़ रूपये व सोने चांदी के जेवरात आदि देकर के सायलान की शादी कर दी थी। जमीन जायदाद में सायलान का कोई हक अधिकार नहीं आया था। जमीन की ऐवज में रोकड़ राशि व जेवरात सायलान को दिये थे। स्व. दानाराम जी द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवाड़ा के बंदोबस्त से सायलान स्वयं सहमत थी व अब व उससे स्वयं पाबन्द है। जो विरुद्ध के सिद्धान्तों के अनुसार राजस्व रेकर्ड के आधार पर आराजी में अब अपना हक हिस्सा व अधिकार व कब्जा होने का उजर नहीं ले सकती है। म्युटेशन संख्या 746 व 747 की कार्यवाही विधिक रूप से सही है। पारिवारिक बंदोबस्त स्वर्गीय दानाराम जी द्वारा मौखिक किया गया था। जिसके सम्बन्ध में गैरसायलान शहादत व सबूत पेश करेगा। स्वर्गीय दानाराम जी को अपने जीवन काल में ही अपनी चल व अचल सम्पति का मौखिक बंटवाड़ा एवं दानाराम जी इच्छाअनुसार ही हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन की कार्यवाही की गई थी। म्युटेशन संख्या 746, 747 विधिक रूप से सही है। बाद पारिवारिक बंदोबस्त के सायलान को इस विवादित आराजी में हक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। सायलान स्वर्गीय दानाराम जी के नाम दर्ज आराजी को अपने नाम कराने का कतई अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी के संयुक्त हिन्दू परिवार के शामलाति भूमि होने का कथन मिथ्या है। विवादित आराजी में सायलान का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार हे। नामान्तकरण संख्या 1449 की कार्यवाही विधिक रूप से

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

सही की गई हैं। सम्पूर्ण पद सायलान शहादत व सबूतों से साबित करें। स्व. दानाराम जी ने अपने जीवनकाल मे किये गये पारिवारिक बंदोबस्त से अपनी पत्नी विघादेवी को इस विवादित आराजी में से हक हिस्सा देने का निर्णय किया था। लेकिन गलती से विघादेवी का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका। यद्यपि मौके पर विद्यादेवी का ही कब्जा व काश्त व अधिकार था। तत्पश्चात न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश हुआ हें जिस पर बाद सुनवाई के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गयचा व न्यायिक कार्यवाही विधिक रूप से सम्पादित की गई। जिसमें किसी प्रकार का छलकपट व धोखा नहीं किया गया। राजस्व वाद संख्या 114/2000 में पारित निर्णय व डिक्री की कोई अपील व निगरानी भी नहीं हुई है। पूर्ववर्ती निर्णय की समीक्षा करने का हक अधिकार उसी न्यायालय को नहीं है। एवं छल कपट व धोखा से प्राप्त निर्णय व डिक्री के आरोप भी गैरसायल नामंजूर करता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार इन आरोपों के आधार पर भी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को शून्य घोषित कराने की अधिकारिता भी सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र के पक्षकारान ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है। म्युटेशन संख्या 2426 तहसीलदार जी जैतारण द्वारा माफिक डिक्री के अनुसार सही रूप से स्वीकार किया गया है। तथा माफिक स्वर्गीय दानाराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर इस विवादित आराजी में सायलान का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। स्व. दानाराम ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति का अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक बंटवाड़ा कर दिया था व इसी माफिक गैरसायल संख्या 01 को मौके पर कब्जा व काश्त सौंप दिया था व हक अधिकार प्रदान कर दिये थे। जिससे सायलान को किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। पूर्व में खातेदारान द्वारा किये गये बेचान भी पारिवारिक जायज जरुरत हेतु किये गये थे। गैरसायल संख्या 01 ने बेचान से प्राप्त प्रतिफल की राशि भी सायलान के संतान की शादी व अन्य मांगलिक तीन त्यौहारों पर मायरे व भेंट के रूप में से माफिक रीतिरिवाज अनुसार खर्च की थी। उक्त सभी खर्च सायलान ने गैरसायल संख्या 01 पर दवाब डालकर के जमीन का बेचान करवाकर खर्चे सम्पादित करवाये थे। अब काश्त योग्य शेष रही जमीन पर भी सायलान का कोई कब्जा व काश्त हक व अधिकार नहीं रहा है। सायलान गैरसायल संख्या 01 के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सायलान स्व. दानाराम की इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उत्तराधिकारिणी कतई नहीं है। कारण कि स्व. दानाराम जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल व अचल सम्पति का पारिवारिक बंदोबस्त कर दिया था। माफिक बंटवाड़ा के दानाराम जी ने अपनी खातेदारी जमीन अपने दोनों पुत्र व पुत्रीयों को दे दी थी। कब्जा मौके पर अपनी पत्नी व पुत्रों को सौंप दिया था। सायलान को उनके हक हिस्से की एवज में रोकड़ रुपये व जेवरात आदि दे

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

किये थे व शादी गौना करके उन्हें ससुराल भेज दिया था। बाद शादी व गौने के भी गैरसायल संख्या 01 ने सायलान के लिये उनकी सन्तान की शादीयों के समय व अन्य उत्सवों पर खर्च किया था। विवादित आराजी में सायलान का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। इस आराजी को लेकर सायलान किसी प्रकार की कोई क्षति होने का आरोप भी मिथ्या है। यदि किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होगी। सब रजिस्ट्रार, जैतारण इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार कतई नहीं है। भूमिधारी राज. सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए भी सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गौर एवं मनन किया तथा पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांती अध्ययन अवलोकन किया, अतः हम अस्थाई व्यादेश के सारभूत तीन बिंदूओं के आधार पर हस्तगत प्रकरण का विवेचन एवं विनिश्चय करना आवश्यक एवं उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार हैः–

1– **प्रथमदृष्ट्या मामला :–** वाद–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा पैतृक–पुश्तैनी आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के तहत पुत्रियों के भी पुत्रों के समान कानूनी उत्तराधिकार हकों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा किया है तथा अस्थाई व्यादेश की प्रार्थना की है। खतौनी बदोबस्त ग्राम–जैतारण, तहसील–जैतारण संवत्2011–2030 एवं जमाबंदी संवत 2036–2039 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दानाराम बेटा मानाराम के खाते दर्ज है। नामांतरण संख्या 746 एवं 747 की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि खातेदार दानाराम के फौत होने पर उनके जायन्दा लड़कों दौलतमल एवं शिवरतन के नाम ही नामांतरण स्वीकृत किया गया जिनका जमाबंदी में अमल–दरामद किया गया तथा दौलतराम के फौत होने पर नामांतरण संख्या 1449 बेवा दुर्गादेवी व पुत्र चरणसिंह व मनदीपसिंह के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया। मृतक दानाराम की बेवा विद्यावती द्वारा वाद संख्या 114/2000, न्यायालय, सहायक कलक्टर जैतारण में बाबत घोषणा के दायर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 21.06.2007 द्वारा विद्यावती को भी अपनें पुत्रों के साथ समान रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया। नामांतरण संख्या 2529 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यावती द्वारा अपनें हक हिस्से की 1/3 भाग आराजी अपनें पुत्र शिवरतन के पक्ष में हक तर्क कर दी गई। अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपनें जवाब प्रार्थना–पत्र में हस्तगत प्रकरण के पक्षकारान स्वर्गीय दानाराम के जायन्दा पुत्र, पुत्रियां एवं दोहिती होना स्वीकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक–पुश्तैनी होना रिकॉर्ड से सिद्ध है तथा वादीगण द्वारा अपनें पिता की आराजी में पिता की मृत्यु पर हिन्दू उत्तराधिकार

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अधिनियम, 1956 के तहत पुत्रों के समान ही पुत्रियों के हक-हिस्से के आधार पर घोषणा का वाद दायर किया है। अतः प्रथम-दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित होता हैं।

2- सुविधा का संतुलन :- चुंकि प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है, जिसमें पुत्रियों द्वारा अपने पिता की आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पुत्र-पुत्री के एक समान हक हिस्से के कानूनी प्रावधानों के आधार पर खातेदारी हक-हिस्सों की घोषणा का दावा किया है, तथा पैतृक आराजी के मामलों में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि उसमें सभी विधिक वारिसान के पक्ष में सुविधा का संतुलन वर्तमान में निहित होता है। अतः जब तक वाद के अंतिम निर्णय द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिक वारिसानों का विनिश्चय नहीं हो जाता है, तब तक प्रथमदृष्ट्या मामले की सिद्धता के आधार पर वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना माना जावें में संशय का कोई कारण नहीं रह जाता है, अतः यह बिंदू भी वादीगण के पक्ष में साबित होता है।

3- अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम-दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के आधार पर वादग्रसत आराजी के हक-तर्क, संपरिवर्तन एवं बैचान आदि किए गए हैं। चुंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है अतः वाद के अंतिम विनिश्चय तक यदि अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया तो वादग्रस्त आराजी की वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो वाद में अनावश्यक जटिलता बढेगी और इसका सर्वाधिक क्षतिपरक प्रभाव वादीगण पर ही होगा। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में से प्राधिकृत अधिकारी(आवंटन एवं नियमन), नगरपालिका जैतारण द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आदेशांक 1039 दिनांक 31.03.2004 द्वारा संपरिवर्तित 14 बीघा भूमि को छोड़कर शेष आराजी के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक, उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते व्यादेश बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरुद्ध उभयपक्षकारान् के इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-पाली के खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

457 रकबा 45-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में से सक्षम प्राधिकारी नगरपालिका मण्डल, जैतारण के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित 14-00 बीघा भूमि को छोड़कर शेष आराजी व खसरा संख्या 456 रकबा 0-08 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 457/1 रकबा 0-04 किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 677 रकबा 8-15 किस्म चाही चारम की वर्तमान मौका स्थिति एवं राजस्व रेकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें, न ही उक्त वादग्रस्त आराजी का बैचान या किसी अन्य तरीके से अन्तरण करें, ऐसा स्वयं न करें, न अपने किसी प्रतिनिधि या नौकर से करवाये। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.26 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: